न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/ 2022
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022/13

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. इकरार पिता स्व.बशीर मोहम्मद
2. शब्बीर पिता स्व.बशीर मोहम्मद
3. मुस्तफा पिता स्व.बशीर मोहम्मद
4. तारीक पिता स्व.बशीर मोहम्मद
5. तोसिफ पिता स्व.बशीर मोहम्मद
6. बिलाल पिता स्व.बशीर मोहम्मद
7. साहिद पिता स्व.बशीर मोहम्मद
8. श्रीमती कमरुन्निसा पत्नि स्व. बशीर मोहम्मद
9. श्रीमती सायरा बानो पत्नि स्व. बशीर मोहम्मद

जाति घांची निवासीयान् परतापुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री शमुन पिता स्व. फिदा हुसैन सुरतवाला जाति बोहरा निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा
2. श्री अनवर अब्दुल अली पिता सादिक अली जाति बोहरा निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा
3. मुस्तफा पिता फखरुद्दीन कडक, जाति बोहरा निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा
4. श्रीमती भावना देवी पत्नी लक्ष्मीलाल लबाना जाति लबाना निवासी भीमसौर, गढी जिला बॉसवाडा
5. श्रीमती बसन्ती पत्नी मोतीलाल लबाना जाति लबाना निवासी भीमसौर, गढी जिला बॉसवाडा
6. तहसीलदार तहसील गढी जिला बॉसवाडा

श्री फारुख मोहम्मद, अधिवक्ता अपीलांट

उपस्थित

श्री पवन कुम्हार अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1

श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता रेस्पोडेंट 2,3,4,5

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 24–06–2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उनके पिता स्व. बशीर मोहम्मद पुत्र इमाम बख्श, जाति घांची, निवासी परतापुर तहसील गढी, जिला बांसवाडा को राज्य सरकार द्वारा सर्वे नंबर 2613 रकबा 3.10 बिघा, सर्वे नंबर 2614 रकबा 0.16 बिघा व सर्वे नंबर 2615 रकबा 1.03 बिघा कुल खेत 3 कुल रकबा 5.09

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

बिघा, वाके गॉव नवागॉव तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थायी आवंटन हुआ था। जिस पर अपीलांट्स के पिता काबिज होकर काश्त कर रहे थे।

उक्त सर्वे नंबर के सेटलमेंट के दौरान हाल सर्वे नंबर निम्नानुसार बने–

पुराना सर्वे नंबर 2613 रकबा 3.10 बिघा . नया सर्वे नंबर 2704 रकबा 0.34 हैक्टेयर

पुराना 2614 रकबा 0.16 बिघा नया सर्वे नंबर 2707 रकबा 0.07 हैक्टेयर

पुराना 2615 रकबा 1.03 बिघा नया सर्वे नंबर 2615 2616मि रकबा 0.28 हैक्टेयर

अपीलांट्स के पिता बशीर मोहम्मद को किये उक्त आवंटन एवं सर्वे नंबरान् पर कब्जा होने से नियमानुसार बजरिये नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 25.03.1993 को खातेदार कृषक के अधिकार प्राप्त होकर खाता दर्ज रेकार्ड किया गया एवं इसके बाद बिना किसी आधार के बजरिये नामांतरकरण सं. 80 दिनांक 28.03.1993 को रेस्पोडेंट संख्या 1 शमुन के नाम अवैध व गैरकानूनी रुप से दर्ज किया गया खाता एवं खाता दर्ज करने का कारण उक्त नामान्तरकरण संख्या 80 को बताया गया है एवं इस नामान्तरकरण में बेचान द्वारा स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा बेचान करना बताया है, परन्तु वास्तव में मृतक स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा कोई बेचान पत्र पंजीयन नही करवाया है। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन ने अपीलांट्स के पिता श्री बशीर मोहम्मद की अनपढता का लाभ उठाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर मौके की जमीन हडपने के उद्देश्य से अवैध म्युटेशन खुलवाकर अपने नाम खाता दर्ज करवाया है एवं उप पंजीयन कार्यालय गढी में भी म्युटेशन का कोई हवाला नही है, इसलिये नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 28.03.1993 प्रारंभ से ही शून्य होकर अवैध है।

रेस्पोडेंट सं.1 शमून ने अपने नाम उक्त म्यूटेशन द्वारा खाता दर्ज होने के बाद अवैध रुप से उक्त कृषि भूमि को बेचान बताकर रेस्पोडेंट सं. 1 शमून के स्थान पर रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 श्री अनवर अब्दुल अली पिता सादिक अली व मुस्तफा पिता फखरुद्दीन कडक के नाम म्युटेशन संख्या 81 उसी दिन दिनांक 25.03.1993 को नया म्यूटेशन खोलकर उक्त रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 श्री अनवर अब्दुल अली पिता सादिक अली व मुस्तफा पिता फखरुद्दीन कडक के नाम अवैध खाता दर्ज कर लिया। तारिख के स्थान पर कांट छाट है जो कि स्पष्ट रुप से लगता है कि दिनांक 25.03.1993 की दिनांक 28. 03.1993 करने की कोशिश की गई है। उक्त दोनो म्यूटेशन एक ही समय में खोले गऐ है जिससे स्पष्ट है कि दोनो म्यूटेशन एकदम फर्जी है एवं मात्र अपीलांट के पिता वृद्धावस्था

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

व बिमारी का लाभ उठाकर रेस्पोडेंट सं. 1, 2, 3 ने राज्य कर्मचारियो से मिलकर अवैध खोले है जो प्रारंभ से ही काबिल निरस्ती है।

रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के नाम अवैध व फर्जी म्युटेशन खुलने के बाद रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 को उक्त सर्वे नंबर की कुल 0.34 एयर की भूमि को दो भागो में बांटकर 0.017 व 0.017 का म्यूटेशन रेस्पोडेंट सं. 4 श्रीमती भावना देवी को बजरिये फर्जी म्यूटेशन संख्या 847 दिनांक 05.09.2009 व उसी दिन श्रीमती बसन्ती देवी रेस्पोडेंट सं. 5 के नाम बजरिये म्यूटेशन सं. 846 दिनांक 05.09.2009 को किया गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर म्यूटेशन संख्या 80 दिनांक 28.03.1993 गॉव नवागॉव, तहसील गढी जिला बांसवाडा को अवैध एवं शून्य होने से निरस्त करने व इसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 81 दिनांक 28.03.1993 व म्यूटेशन संख्या 846, 847 दिनांक 05.09.2009 गॉव नवागॉव, तहसील गढी जिला बांसवाडा को निरस्त कर मूल खातेदार मूल खातेदार स्व. बशीर मोहम्मद पुत्र इमाम बक्श निवासी परतापुर के वारिसान् अपीलांट्स के नाम म्यूटेशन दर्ज करने निवेदन किया।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

दिनांक 25.01.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 25.02.2021 को रेस्पोडेंट सं. 4 व 5, दिनांक 24.11.2022 को रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 की ओर से श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता एवं दिनांक 28.07.2022 को रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से श्री पवन कुम्हार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 25.08.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 25.03.1993 को बशीर मोहम्मद को खातेदारी हक प्राप्त होना एवं इसके बाद नामांतरकरण संख्या 80 दिनांक 28.03.1993 को मुझ रेस्पोडेंट के नाम दर्ज होना यह मेरी जानकारी में नही है। मैने बशीर मोहम्मद से उक्त बताई गई भूमि खरीदी कर अनवर अली को विक्रय नही की है। रेस्पोडेंट अनवर अली पिता सादिक अली व मुस्तफा पिता फखरुद्दीन कडक को उक्त बताई गई भूमि कभी न [illegible] न ही मै उक्त भूमि का मालिक रहा हुँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 13.01.2023 को रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपील पर जवाब पेश किया गया प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेखित किया गया कि अपीलांट ने वादग्रस्त सर्वे नंबरो के संबंध में वर्ष 1993 से किए गए विक्रय एवं

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

नामान्तरकरणो को निरस्त कराये जाने हेतु अपील पेश की है। अपील का मुख्य आधार अपीलांट के मुल पुरुष स्व. बशीर मोहम्मद पिता इमामबक्ष घाची निवासी बांसवाडा द्वारा वादग्रस्त नंबरो की भूमि का विक्रय नही किया गया है एवं राजस्व रेकार्ड में बिना हस्तांतरण के नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 28.03.1993 खोला गया है एवं राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ठियाँ की गई है। अपीलांट ने मात्र नामान्तरकरण संख्या 846 एवं 847 दिनांक 05.09.2009 जो कि पुराना सर्वे नंबर 2613 जिसका वर्तमान सेटमेन्टी नंबर 2704 को निरस्त करने हेतु अपील पेश की है।

इस अपील में विचारणीय प्रश्न है कि श्री शमुन रेस्पोडेंट सं. 1 को पुराने सर्वे नंबर 2613, 2614, 2615 का हस्तांतरण स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा नही किया गया है तो फिर विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1991 के द्वारा सर्वे नंबर 2614 व 2615 की भूमि को स्व. श्री बशीर मोहम्मद, श्री मोहम्मद हनिफ व श्री अय्युब मोहम्मद पिता इमामबक्ष घाची निवासी परतापुर द्वारा पुनः शमुन से क्यो क्रय किया गया ? इसी तथ्य से अपील के आधार झूठे प्रमाणित होते है। शमून द्वारा सर्वे नंबर 2613 एवं सर्वे नंबर 2614, 2615 का विक्रय एक साथ एक ही दिन निष्पादित कर पंजीयन कराया है। अतः हस्तांतरण की जानकारी स्व. बशीरमोहम्मद को उसी दिन हो गई थी। दिनांक 06.06.1991 के बाद स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है। उपरोक्त तथ्यो से यह साबित है कि स्व. बशीरमोहम्मद ने उक्त सर्वे नंबरो की भूमि को शमून रेस्पोडेंट सं. 1 को हस्तांतरित किए गए है। तत्पश्चात् सर्वे नंबर 2614, 2615 को स्व. श्री बशीरमोहम्मद व उसके भाई द्वारा क्रय किए गए है एवं सर्वे नंबर 2613 की भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने क्रय किए है।

रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1991 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना कानूनन सर्वे नंबर 2613 के सम्बन्ध में किए गए नामांतरकरणो को कानूनन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही है। नामान्तरकरण संख्या 80 एवं 81 तथा उसके पश्चात्ववर्ती नामान्तरकरणो के संबंध में जो आपत्ति अपीलांट द्वारा ली गई है वह गैर कानूनी है। रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्रो के द्वारा आबादी [illegible] क्रय किया है। विक्रयपत्रो को निरस्त कराये बिना रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 के हक में किए गए नामान्तरकरण को कानूनन खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है। वर्तमान में भूमि की किस्म आवासीय है एवं आवासीय भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 29.02.2024 को रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जिसमे यह उल्लेखित किया कि अपीलांट के पिता स्व. बशीर मोहम्मद पिता इमामबक्ष घाची निवासी परतापुर को आवंटित पुराना सर्वे नंबर 2613 रकबा 3.10 बिघा, सर्वे नंबर 2614 रकबा 16 बिस्वा एवं सर्वे नबर 2615 रकबा 1 बिघा 3 बिस्वा कुल खेत 3 कुल रकबा 5 बिघा 09 बिस्वा वाके गांव नवागांव तहसील गढी जिला बांसवाडा को स्व.बशीरमोहम्मद द्वारा विक्रय नही करने का आधार बताकर नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 28.03.1993 नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 28.03.1993 एवं इसके आधार पर आगे खोले गए नामान्तरकरण 846 एवं 847 दिनांक 05.09.2009 को निरस्त कराने हेतु यह अपील दिनांक 11.11.2021 को पेश की गई है। सर्वप्रथम भूमि विक्रय का नामान्तरकरण दिनांक 28.03.1993 को किया गया है। इस प्रकार यह अपील अर्सा करीब 28 वर्ष पश्चात् पेश की गई है।

स्व. बशीर मोहम्मद ने पुराना सर्वे नंबर 2613, 2614, 2615 का हस्तान्तरण शमुन अली को किया है। शमुन अली से सर्वे नंबर 2614, 2615 की भूमि को स्व. बशीर मोहम्मद व उसके भाई मोहम्मद हनीफ, श्री अयुब मोहम्मद को विक्रय पत्र दिनांक 06.06. 1991 के द्वारा विक्रय किये है। दिनांक 06.06.1991 को स्व. बशीर मोहम्मद की जानकारी में शमुन अली द्वारा सर्वे नंबर 2613 की भूमि को अनवर अब्दुल अली, मुस्तफा को विक्रय किया गया है। अपीलांट ने अपील में जो आधार लिया है वह ऑन द फेस ऑफ रेकार्ड झुठा एवं बनावटी है। स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि विक्रय करने का उल्लेख नामान्तरकरण संख्या 80 में है एवं उसी अनुरुप राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ठियॉ की गई है। भूराजस्व अधिनियम की धारा 140 में यह प्रावधान है कि अभिलेखो की सब प्रविष्ठियां तब तक शुद्ध मानी जायेगी जब तक की तत् प्रतिकुल साबित न किया जावे। इस प्रकरण में विक्रय पत्रो को सक्षम सिविल न्यायालय से कराये बिना राजस्व अभिलेखो की सभी प्रविष्ठियां शुद्ध मानी जाने की अवधारणा किए जाने योग्य है।

इस अपील में विचारणीय प्रश्न है कि श्री शमुन रेस्पोडेंट सं. 1 को पुराने सर्वे नंबर 2613, 2614, 2615 का हस्तांतरण स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा नही किया गया है तो फिर विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1991 के द्वारा उक्त नंबर 2614, 2615 की भूमि को स्व. श्री बशीर मोहम्मद, श्री मोहम्मद हनिफ व श्री अयुब मोहम्मद पिता इमामबक्ष घाची निवासी परतापुर द्वारा पुनः शमुन से क्यो क्रय किया गया ? इस तथ्य से अपील के आधार झूठे प्रमाणित होते है। शमून द्वारा सर्वे नंबर 2613 एवं सर्वे नंबर 2614, 2615 का विक्रय एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

साथ एक ही दिन निष्पादित कर पंजीयन कराया है। अतः हस्तांतरण की जानकारी स्व. बशीरमोहम्मद को उसी दिन हो गई थी। दिनांक 06.06.1991 के बाद स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है। उपरोक्त तथ्यो से यह साबित है कि स्व. बशीरमोहम्मद ने उक्त सर्वे नंबरो की भूमि को शमून रेस्पोडेंट सं. 1 को हस्तांतरित किए गए है। तत्पश्चात् सर्वे नंबर 2614, 2615 को स्व. श्री बशीरमोहम्मद व उसके भाई द्वारा क्रय किए गए है एवं सर्वे नंबर 2613 की भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने क्रय किए है।

रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1991 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना कानूनन सर्वे नंबर 2613 के सम्बन्ध में किए गए नामांतरकरणो को कानूनन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही है। नामान्तरकरण संख्या 80 एवं 81 तथा उसके पश्चात्ववर्ती नामान्तरकरणो के संबंध में जो आपत्ति अपीलांट द्वारा ली गई है वह गैर कानूनी है। रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्रो के द्वारा आबादी भूमि को क्रय किया है। विक्रयपत्रो को निरस्त कराये बिना रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 के हक में किए गए नामान्तरकरण को कानूनन खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है। वर्तमान में भूमि की किस्म आवासीय है एवं आवासीय भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

दिनांक 21.03.2024 को रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जिसमें मुख्य रुप से उल्लेखित किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा अनवर अली पिता सादिक अली व मुस्तफा पिता फखरुद्दीन को जिस भूमि को विक्रय का उल्लेख किया गया है, उक्त भूमि रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा बशीर मोहम्मद व उसके भाईयो से कभी भी खरीदी नही गई है। रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा क्रय एवं विक्रय के जो दस्तावेज है वह कुटरचित एवं फर्जी है तथा उक्त दस्तावेजो पर रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली के हस्ताक्षर भी फर्जी है तथा उक्त अवधि में रेस्पोडेंट सं. 1 भारत में ही नही था। इस प्रकार रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा विक्रय दस्तावेज बताकर जो नामान्तरकरण किये गये है [illegible] होकर निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा आराजी नंबर 2614 व 2615 की भूमि बशीर मोहम्मद, मोहम्मद अली व अजुब मोहम्मद को विक्रय नही की है तथा उक्त विक्रय का दस्तावेज फर्जी एवं कुटरचित है तथा रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा क्रय विक्रय किये गए सभी दस्तावेज आराजी नंबर 2613, 2614 व 2615 के कुटरचित एवं फर्जी है।

अपीलांट्स की अपील सही होने से एवं वास्तविक तथ्यो पर आधारित होने से स्वीकार कर कुटरचित दस्तावेज के आधार पर किये गए नामांतरकरण निरस्त करने मे रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

अपीलांट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 07.06.2024 को अपील मैमो आधारित लिखित बहस पेश की जिसमें उल्लेख किया कि उनके पिता स्व. बशीर मोहम्मद पुत्र इमाम बख्श, जाति घांची मुसलमान निवासी परतापुर तहसील गढी, जिला बांसवाडा को राज्य सरकार द्वारा सर्वे नंबर 2613 रकबा 3.10 बिघा, सर्वे नंबर 2614 रकबा 0.16 बिघा व सर्वे नंबर 2615 रकबा 1.03 बिघा कुल खेत 3 कुल रकबा 5.09 बिघा, वाके गॉव नवागॉव तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थायी आवंटन हुआ था। जिस पर अपीलांट्स के पिता काबिज होकर काश्त कर रहे थे।

उक्त सर्वे नंबर के सेटलमेंट के दौरान हाल सर्वे नंबर निम्नानुसार बने–
पुराना सर्वे नंबर 2613 रकबा 3.10 बिघा . नया सर्वे नंबर 2704 रकबा 0.34 हैक्टेयर
पुराना 2614 रकबा 0.16 बिघा नया सर्वे नंबर 2707 रकबा 0.07 हैक्टेयर
पुराना 2615 रकबा 1.03 बिघा नया सर्वे नंबर 2615 2616मि रकबा 0.28 हैक्टेयर

अपीलांट्स के पिता बशीर मोहम्मद को किये उक्त आवंटन एवं सर्वे नंबरान् पर कब्जा होने से नियमानुसार बजरिये नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 25.03.1993 को खातेदार कृषक के अधिकार प्राप्त होकर खाता दर्ज रेकार्ड किया गया एवं इसके बाद बिना किसी आधार के बजरिये नामांतरकरण सं. 80 दिनांक 28.03.1993 को रेस्पोडेंट संख्या 1 शमुन के नाम अवैध व गैरकानूनी रुप से दर्ज किया गया खाता एवं खाता दर्ज करने का कारण उक्त नामान्तरकरण संख्या 80 को बताया गया है एवं इस नामान्तरकरण में बेचान द्वारा स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा बेचान करना बताया है, परन्तु वास्तव में मृतक स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा कोई बेचान पत्र पंजीयन नही करवाया है। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन ने अपीलांट्स के पिता श्री बशीर मोहम्मद की अनपढता का लाभ उठाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर मौके की जमीन हडपने के उद्देश्य से अवैध म्युटेशन खुलवाकर अपने नाम खाता दर्ज करवाया [illegible] उप पंजीयन कार्यालय गढी में भी म्युटेशन का कोई हवाला नही है इसलिये नामांतरकरण संख्या 80 दिनांक 28.03.1993 प्रारंभ से ही शून्य होकर अवैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट सं.1 शमून ने अपने नाम उक्त म्यूटेशन द्वारा खाता दर्ज होने के बाद अवैध रुप से उक्त कृषि भूमि को बेचान बताकर रेस्पोडेंट सं. 1 शमून के स्थान पर

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 श्री अनवर अब्दुल अली पिता सादिक अली व मुस्तफा पिता फखरुद्दीन कडक के नाम म्युटेशन संख्या 81 उसी दिन दिनांक 25.03.1993 को नया म्यूटेशन खोलकर उक्त रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 श्री अनवर अब्दुल अली पिता सादिक अली व मुस्तफा पिता फखरुद्दीन कडक के नाम अवैध खाता दर्ज कर लिया। तारिख के स्थान पर कांट छाट है जो कि स्पष्ट रुप से लगता है कि दिनांक 25.03.1993 को दिनांक 28.03.1993 करने की कोशिश की गई है। उक्त दोनो म्यूटेशन एक ही समय में खोले गऐ है जिससे स्पष्ट है कि दोनो म्यूटेशन एकदम फर्जी है एवं मात्र अपीलांट के पिता वृद्धावस्था व बिमारी का लाभ उठाकर रेस्पोडेंट सं. 1, 2, 3 ने राज्य कर्मचारियो से मिलकर अवैध खोले है जो प्रारंभ से ही काबिल निरस्ती है।

रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन ने यह स्वीकार किया है कि उसने बशीर मोहम्मद से उक्त बताई कृषि भूमि को क्रय नही की है और नाम गैरकानूनी तरिके से भूमाफियाओ ने मेरे नाम से म्यूटेशन खुलवाकर श्री बशीर मोहम्मद के खाते की भूमि में नाम गलत जोडा गया है एवं भूमि विक्रय बताई है उस समय मै परतापुर में मौजुद नही था मै कुवैत था एवं शमुन अली ने अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में रेर्स्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा अनवर अली पिता सादिक अली व मुस्तफा पिता फखरुद्दीन को जिस भूमि को विक्रय का उल्लेख किया गया है, उक्त भूमि रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा बशीर मोहम्मद व उसके भाईयो से कभी भी खरीदी नही गई है। रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा क्रय एवं विक्रय के जो दस्तावेज है वह कुटरचित एवं फर्जी है तथा उक्त दस्तावेजो पर रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली के हस्ताक्षर भी फर्जी है तथा उक्त अवधि में रेस्पोडेंट सं. 1 भारत में ही नही था। इस प्रकार रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा विक्रय दस्तावेज बताकर जो नामान्तरकरण किये गये है वह फर्जी होकर निरस्त करने का कथन किया है। इस प्रकार श्री शमुन ने लिखित बहस व लिखित जवाब दावे में भी यह स्वीकार किया है कि रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा आराजी नंबर 2614 व 2615 की भूमि बशीर मोहम्मद, मोहम्मद अली व अयुब मोहम्मद को विक्रय नही की है तथा उक्त विक्रय का दस्तावेज फर्जी एवं कुटरचित है तथा रेस्पोडेंट सं. 1 शमुन अली द्वारा क्रय विक्रय किये गए सभी दस्तावेज आराजी नंबर 2613, 2614 व 2615 कुटरचित एवं फर्जी होने का कथन किया है। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के नाम अवैध व फर्जी म्युटेशन खुलने के बाद रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 को उक्त सर्वे नंबर की कुल 0.34 एयर की भूमि को दो भागो में बांटकर 0.017 व 0.017 का म्यूटेशन रेस्पोडेंट सं. 4 श्रीमती भावना देवी को बजरिये फर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

म्यूटेशन संख्या 847 दिनांक 05.09.2009 व उसी दिन श्रीमती बसन्ती देवी रेस्पोडेंट सं. 5 के नाम बजरिये म्यूटेशन सं. 846 दिनांक 05.09.2009 को किया गया। जो प्रारम्भ से ही अवैध होकर शून्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर म्यूटेशन संख्या 80 दिनांक 28.03.1993 गॉव नवागॉव, तहसील गढी जिला बांसवाडा को अवैध एवं शून्य होने से निरस्त करने व इसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 81 दिनांक 28.03.1993 व म्यूटेशन संख्या 846, 847 दिनांक 05.09.2009 गॉव नवागॉव, तहसील गढी जिला बांसवाडा को निरस्त कर मूल खातेदार मूल खातेदार स्व. बशीर मोहम्मद पुत्र इमाम बक्श निवासी परतापुर के वारिसान् अपीलांट्स के नाम म्यूटेशन दर्ज करने निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर दर्ज किये गए है। जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। मुख्य रुप से यह अपील म्यूटेशन संख्या 80 दिनांक 28.03.1993, म्यूटेशन संख्या 81 दिनांक 28.03.1993 को निरस्त करने इस न्यायालय में लाई गई है। नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 28.03.1993 श्री बशीर मोहम्मद पिता इमामबक्ष ने खसरा नंबर 2704 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि जरिये बेचान शमुन पिता फिदा हुसैन को विक्रय की जिसके आधार पर दिनांक 28.03.1993 को यह नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जरिये बेचान का दाखला नामांतकरण पर अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 28.03.1993 शमुन पिता फिदा हुसैन सुरतवाला ने खसरा नंबर 2704 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि जरिये बेचान अनवर अली पिता सादिक अली [illegible] पिता फखरुद्दीन को जरिये विक्रय पत्र बेचान की जिसके आधार पर नामान्तरकरण 28.03.1993 को दर्ज किया गया, जरिये बेचान रजिस्ट्री 06.06.1991 का दाखला नामान्तरकरण पर अंकित है। नामान्तरकरण सं. 846 दिनांक 05.09.2009 अनवर अब्दुल अली व मुस्तफा द्वारा संपरिवर्तित भूमि रेसपोडेंट सं.5 बसन्ती को बेचान करने से खुला व 847 अनवर अब्दुल अली व मुस्तफा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

संपरिवर्तित भूमि भावना को बेचान करने पर खुला है। तहसीलदार गढी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर स्वीकृत किये है, जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। अपीलांट्स का यह कथन कि मृतक स्व. बशीर मोहम्मद द्वारा कोई बेचान पत्र पंजीयन नही करवाया है। रेस्पोडेंट सं. 1 का यह कथन कि उक्त क्रय विक्रय के दस्तावेज फर्जी एवं कुटरचित है। जहॉ तक प्रश्न कुटरचित अथवा मिथ्या पूर्वक दस्तावेज तैयार कर नामांतरकरण दर्ज करवाये जाने से है, तो कुटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेजो का निर्धारण करना इस न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24–06–2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:09 IST
Reason: SelfAttested